

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>राजस्व अपील संख्या 21 / 2018 रूघनाथ सिंह वगैरा बनाम सरकार</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>21.03.2018</p> | <p>यह राजस्व अपील, अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री ओ.पी. सोनी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर प्रकरण संख्या ... / 2018 दिनांक 09.01.2018 सरकार बनाम तेजसिंह वगैरा ग्राम भूंगरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के पेश की गई।</p> <p>अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकॉर्ड प्राप्त करने हेतु न्यायालय के पत्रांक संख्या 121 दिनांक 02.02.2018 को नायब तहसीलदार शेरगढ़ को पत्र लिखा गया था।</p> <p>तहसीलदार शेरगढ़ ने अपने पत्रांक—राजस्व / 2018 / 81 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा अवगत कराया कि अपील संख्या 21 / 2018 अनवान रूगनाथ सिंह बनाम सरकार के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत इस न्यायालय में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः पत्रावली भिजवाया जाना संभव नहीं है।</p> <p>अतः अपील अपीलार्थीगण की अपील इस स्टेज पर खारिज की जाती है।</p> | |

